रंगतारी नाइट डांडिया की धूम, शांभरी ग्रुप रहा विजेता

रास रानिया द्वितीय और नवशक्ति ग्रुप रहा तृतीय स्थान पर

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 23 सितम्बर। अग्रसेन मारवाड़ी महिला संगठन द्वारा पंचायती बगीचे धर्मशाला में आयोजित रंगतारी नाइट डांडिया उत्सव में समाज की महिलाओं और युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में आकर्षक परिधानों, लयबद्ध नृत्य और उमंग-उत्साह की झलक देखने को मिली।

शुभारंभ मारवाड़ी समाज अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, सचिव दीपक गोयल, उपाध्यक्ष आनंद गोयल बंगले वाले, तरुण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अनिल गोयल, सह सचिव यश गोयल, ट्रस्ट अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रवाल, सचिव विनोद मित्तल, पूर्व अध्यक्ष हरिओम अग्रवाल तथा सहयोगकर्ता श्रीमती प्रीति अग्रवाल एवं अखिल अग्रवाल बुडन हाउस द्वारा महाराजा अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद डांडिया ग्रुप्स की रंगारंग प्रस्तुतियां हुईं। शांभरी ग्रुप ने प्रथम, रास रानिया ग्रुप ने द्वितीय और नवशक्ति ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नूपुर गोयल को बेस्ट कॉस्ट्यूम, वहीं इशिका और कृष्णा को बेस्ट ग्रुप डांस का पुरस्कार मिला। अग्रसेन मारवाड़ी महिला मंडल की अध्यक्ष शिल्पी बिंदल, उपाध्यक्ष नेहा मंगल, सचिव पूजा मंगल, कोषाध्यक्ष तृप्ति गोयल, संस्कृति सचिव शालू गोयल, प्रियंका बंसल और कार्यकारिणी सदस्य मोना गर्ग, रानी गोयल, सोनल गर्ग, टीना गुप्ता, मीनाक्षी गोयल, आशु गोयल रहीं। संरक्षक मंडल में रेखा अग्रवाल, नम्रता गर्ग, शिखा बंसल, बबीता अग्रवाल, सोनिया गर्ग और मंजू बंसल शामिल थीं। कार्यक्रम का सफल संचालन नेहा मंगल ने किया और आभार सचिव पूजा मंगल ने व्यक्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष शिल्पी बिंदल ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करते हैं जिससे सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और चेतना को बढ़ावा मिलता है।

गलत तरीके से दिया जनपद सदस्य पति के नाम आवास, कार्यवाही की मांग

नवभारत न्यूज
नरवर, 23 सितम्बर। नरवर जनपद पंचायत अंतर्गत एक अनोखा मामला सामने आया है जहां पर ग्राम पंचायत चकरामपुर के उदीयापुर गांव के जनपद सदस्य श्रीमती चंद्रावती कुशवाहा पत्नी पर्वतसिंह कुशवाह को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास स्वीकृत किया जा चुका है तथा कुटीर का निर्माण भी पूरा हो चुका है ,जबकि नियम अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शासकीय योजनाओं का लाभ न दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन नरवर जनपद क्षेत्र में भ्रष्टाचार के चलते उलटी गंगा बह रही है तथा वही गरीब पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है ,लेकिन नरवर जनपद पंचायत में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की मेहरबानी के चलते अब जनप्रतिनिधियों को भी आवास योजनाओं में जोड़ा जा रहा है शासन के लाखों रूपों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वही नरवर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कांग्रेस नेता राजू कोली ने प्रशासन से मांग की है कि नियम विरूद्ध गलत तरीके से जनपद सदस्य चंद्रावती के पति पर्वत सिंह कुशवाहा के नाम प्रधानमंत्री आवास दिया गया है युक्त जनपद सदस्य एवं नरवर जनपद के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है

मेरे द्वारा जनपद सदस्य पति के नाम प्रधानमंत्री आवास की फाइल रोकी गई थी लेकिन नरवर जनपद सीईओ एपी प्रजापति द्वारा आवास स्वीकृत करवाया गया है
पीसीओ रामदास गिल नरवर

आपके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि जनपद सदस्य पति के नाम प्रधानमंत्री आवास दिया गया है मैं इसकी जानकारी लगाऊंगा मुझे अभी पता नहीं है
सीईओ ब्रह्मेन्द्र गुप्ता नरवर

कृषकों को बताये नरवाई प्रबंधन के गुर

नवभारत न्यूज
शिवपुरी,22सितम्बर। जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिये कृषि विभाग का मैदानी अमला ग्रामों में जाकर नरवाई प्रबंधन के लिये जागरूकता अभियान चला रहा है। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास शिवपुरी पी.एस. करोरिया के मार्गदर्शन में यह अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में ब्लाक तकनीकी प्रबंधक (आत्मा) विकासखण्ड शिवपुरी रघुवीर सिंह यादव ने ग्राम बूढ़ी-बरोद में तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक (आत्मा) विकासखण्ड पोहरी राहुल मौर्य ने ग्राम परिच्छा में चौपाल लगाकर कृषकों को नरवाई जलाने से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के दुष्प्रभाव एवं भूमि की घटती उर्वराशक्ति के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने कृषकों को नरवाई प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्रों जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रारीपर, बेलन आदि की जानकारी दी। साथ ही, कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान की विस्तृत जानकारी भी कृषकों को प्रदान की गई।

सायबर टास्क फोर्स ने 1 लाख रुपये गलत ट्रांसफर से बचाए

शिवपुरी। सायबर टास्क फोर्स शिवपुरी की तत्पर कार्रवाई से शहर के एक व्यापारी का करीब 1 लाख रुपये का गलत ट्रांसफर रोककर धन राशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई। व्यापारी परिवार ने पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ को पुष्पगुच्छ भेंट कर और सायबर टीम का धन्यवाद किया। सायबर टास्क फोर्स प्रभारी उनि. धर्मेन्द्र सिंह जाट एवं उनकी टीम ने शिकायत संख्या 32109250028346 के तहत कार्रवाई करते हुए, बैंक एवं संबंधित खाता धारक से संपर्क कर 97,500/- की राशि वापसी सुनिश्चित की।

पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने शहर में बढ़ते सायबर अपराध पर कड़ा नियंत्रण रखने और समय रहते कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सायबर टास्क फोर्स में शामिल प्रमुख अधिकारी और कर्मियों में सउनि. अजय पाल, कार्य.प्र.आर. विकास सिंह चौहान, आर. जलज रावत, आर. दामोदर परिहार, आर. मानवेन्द्र गुर्जर और आर. आलोक व्यास शामिल रहे। सायबर अपराध से बचने के लिए नागरिकों को दिए गए मुख्य निर्देशों में ऑनलाइन लेन-देन से पहले प्राप्तकर्ता की जानकारी कन्फर्म करें। सोशल मीडिया पर निवेश/शेयर मार्केट के फर्जी ग्रुप पर भरोसा न करें। किसी भी कॉल, मैसेज या ईमेल पर निजी जानकारी या ओटीपी साझा न करें। अनजान लिंक या वेबसाइट पर लॉगिन न करें। इस कार्रवाई ने शहरवासियों के लिए सायबर सुरक्षा में विश्वास और जागरूकता बढ़ाई है।

रंगारंग महोत्सव, बच्चों ने बिखेरी कला की झलक, आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 23 सितम्बर। मानव वेलफेयर सोसाइटी एवं मां अम्बे एसोसिएशन पिछले 15 वर्षों से शहर के गांधी पार्क मैदान में माता स्थापना का आयोजन कर रही है। माता स्थापना के साथ हीं यहां विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिदिन किया जाता है, जिससे नगरवासियों में उत्साह और भक्तिभाव बना रहता है।

22 सितंबर सोमवार को दोपहर 4 बजे रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जूनियर वर्ग में इच्छा कुदेशिया, सृस्टि सक्सेना और स्वीटी राठौर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सीनियर वर्ग में रजिया खान और साक्षी गोयल को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य विजेताओं में नीतू रघुवंशी -टेबल नम्बर -11, काजल यादव -टेबल नम्बर 7, आयुषी मित्तल -टेबल नम्बर 5 रहे। इसी के साथ मंगलवार को पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। सीनियर पेंटिंग प्रतियोगिता में सालवी गुप्ता (ईस्टर्न हाई स्कूल), नंदा शर्मा (किड्स गार्डन स्कूल) और नैंसी सुनेरिया (एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जूनियर वर्ग में पलक (हैप्पी डेज स्कूल), बानी जाटव (किड्स गार्डन स्कूल), नंदिनी वर्मा (किड्स गार्डन स्कूल) और कृष्ण माहोर (सुशील मांटेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल) ने अपनी कला का लोहा मनवाया।

फिजियोथेरेपी, होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक कैंप आज

आज 24 सितंबर बुधवार को गांधी पार्क मैदान में निःशुल्क फिजियोथेरेपी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। इस शिविर में डॉ. स्मिता गोयल (फिजियोथेरेपिस्ट), डॉ. रवि गोयल (होम्योपैथिक) और डॉ. अनिल वर्मा (आयुर्वेदिक) अपनी विशेषज्ञ सेवाएं देंगे। मानव वेलफेयर सोसाइटी एवं मां अम्बे एसोसिएशन के सदस्यों ने नगरवासियों से अपील की है कि वे इस शिविर में अवश्य आएं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें।

खेल-खेल में आठ साल के बच्चे ने निगला 5 रुपये का सिक्का, डॉक्टरों ने क्रिटिकल होने से पहले बचाया

ऑपरेशन में सफलता, बच्चा स्वस्थ

नवभारत न्यूज
शिवपुरी,23सितम्बर। खेल-खेल में आठ साल के रोहित जाटव ने 5 रुपये का सिक्का निगल लिया, जिससे उसकी सांस लेने और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो गया। परिजनों ने बच्चे को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर पाकर चिकित्सकों ने उसे श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, शिवपुरी रेफर कर दिया। बच्चे की जांच-परख कैजुअल्टी ड्यूटी डॉक्टर ने की और नाक-कान-गला विभाग के विशेषज्ञ डॉ. मेघा प्रभाकर को तुरंत सूचित किया। एक्स-रे और एंडोस्कोप के माध्यम से आहार नली में फंसे सिक्के की स्थिति का पता लगाया गया।

डॉ. मेघा प्रभाकर, एसआर डॉक्टर मीनाक्षी गर्ग और एनस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. संजीव की टीम ने ओटी में बच्चे को सुरक्षित रूप से बेहोश कर एंडोस्कोप और पतली चिपटी की मदद से सिक्का निकाल दिया। यह प्रक्रिया केवल कुछ मिनटों में सफल रही। आहार नली और सांस नली के मध्य फंसा सिक्का निकालने में सफलता मिलने पर चिकित्सक, स्टाफ और परिजन सभी ने राहत की सांस ली। बच्चे की मां रामा जाटव ने बताया कि रोहित स्कूल से आने के बाद घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इस दौरान सिक्के गायब करने के खेल में रोहित ने सिक्का मुंह में डाल लिया, जो सीधे गले में चला गया और सांस लेने में परेशानी पैदा कर दी। डॉ. मेघा प्रभाकर ने बताया कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। इसकी सूचना तुरंत हमारे कॉलेज अधिष्ठाता डॉ. डी. परमहंस और अधीक्षक डॉ. आशुतोष चौऋषि को दी गई। उनके निर्देशन में ही हमारी टीम ने समय रहते सिक्का बाहर निकालकर रोहित की जान बचाई। अब वह पूरी तरह स्वस्थ्य है। यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि समय पर चिकित्सकीय कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण होती है और कैसे त्वरित प्रतिक्रिया बच्चों की जान बचा सकती है।

आरक्षक पति पर दहेज प्रताडऩा का आरोप

शिवपुरी। पोहरी पुलिस लाइन की रहने वाली साक्षी खरे ने मंगलवार को थाना पोहरी में तैनात अपने पति आरक्षक राजेन्द्र खरे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत सौंपी है। साक्षी ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताडऩा का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक साक्षी का विवाह 19 अप्रैल 2024 को राजेन्द्र खरे से हुआ था। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। साक्षी ने बताया कि 8 सितंबर 2025 को उसके पति ने पोहरी में उसकी पिटाई की। इसके बाद उसे नशीला पदार्थ खिलाकर रात में बेहोश अवस्था में सड़क पर छोड़ दिया गया। 16 सितंबर को पोहरी थाने में राजेन्द्र खरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। साक्षी ने आरोप लगाया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि निष्पक्ष जांच के लिए राजेन्द्र को पोहरी थाने से हटाया जाए। साक्षी ने बताया कि 17 सितंबर को दिए गए आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

4 दिन बाद चोरी की एलईडी टीव्ही बेचने आया,पकड़ा गया

शिवपुरी। कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले का सफल खुलासा करते हुए आरोपी इम्तियाज उर्फ भैय्यन खान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कुल 4 लाख 75 हजार रुपए का चोरी का माल बरामद किया गया। आरोपी मार्केट में चोरी की टीवी बेचने आया था इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो और भी चोरी की गई चीजें बरामद हुईं।

कोतवाली प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि फरियादी धीरेन्द्र भार्गव ने 18 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि अज्ञात चोर उनके घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और एलईडी टीवी चोरी कर ले गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में टीम गठित की गई। जांच के दौरान शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मुखबिर की सूचना पर 21 सितंबर को आरोपी को कस्टम गेट के पास ऑटो में चोरी की एलईडी टीवी बेचते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की वारदात स्वीकार की। आरोपी के कब्जे से चोरी की एलईडी टीवी, एक जोड़ी चांदी की पायल, घटना में प्रयुक्त ऑटो और 41 हजार कैश बरामद हुए। कुल चोरी का माल लगभग 4.75 लाख रुपए का था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

आरती जैन बनीं आईजा महिला विंग मध्य प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष

शिवपुरी। जैन समाज की उभरती हुई पत्रकार और समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय आरती जैन को ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन (आईजा) की मध्य प्रदेश महिला विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति आईजा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक इंडिया की सहमति एवं प्रदेश अध्यक्ष एड. राजीव जैन सैनानी द्वारा की गई।

सरपंच पर अविश्वास प्रस्ताव, पीठासीन अधिकारी पर आरोप

नवभारत न्यूज
शिवपुरी,22सितम्बर। ग्राम पंचायत मडखेड़ा, जनपद पंचायत पोहरी में सरपंच मानसिंह आदिवासी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला तूल पकड़ गया है। पंचायत सदस्यों का आरोप है कि सरपंच ने ग्राम पंचायत की बैठकों को दरकिनार करते हुए मनमर्जी से प्रस्ताव पारित किए, शासकीय निधियों का दुरुपयोग किया तथा घटिया निर्माण कार्य कराए।

सदस्यों का कहना है कि नाले की पुलिया, स्कूल में पेवर ब्लॉक और तालाब पर बना रपटा निम्न स्तर का निर्माण है। मनरेगा मजदूरों को मजदूरी तक नहीं दी गई और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सही क्रियान्वयन नहीं हुआ। सबसे गंभीर आरोप यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी ने सरपंच के साथ मिलीभगत कर प्रलोभन में आकर प्रस्ताव के पक्ष में पड़े मतपत्रों को गलत रूप से निरस्त कर दिया, जिससे अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया। आक्रोशित वार्ड सदस्यगणों ने इस पूरे प्रकरण की शिकायत जिला कलेक्टर शिवपुरी से की है और मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (उक्त एक्ट) की सेक्शन 13 (2) के तहत जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के सहपठित है . उक्त नियमों के नियम 3 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (12) के तहत प्रदान अधिकारी के पालन में आईआईएफएल होम फाइनेंस लि . (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि .) के प्रा . अधिकारी ने उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी की है व देनदारों को उन्हें जारी डिमांड नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा है . उक्त से संबंधित, देनदारों को एक बार फिर इस नोटिस प्रकाशन से 60 दिनों में भुगतान तिथि तक डिमांड नोटिस तिथि से आगे ब्याज सहित निम्न कथित राशि का भुगतान करने की नोटिस दी जाती है . देनदारों के वितरण डिमांड नोटिस तिथि पर बकाया राशि व लोन राशि के भुगतान के प्रति प्रस्तुत सिक्योरिटी के विवरण निम्न हैं -

देनदारों/गारंटरों का नाम	डिमांड नोटिस तिथि व राशि	सिक्योर्ड एसेट विवरण (अचल संपत्ति)
श्री नीरज बघेल श्री गजराज सिंह श्रीमती रामबेटी नीरज दूध केंद्र (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10553244)	11 जून 2025, रु.436747/- (रुपये चार लाख छतीस हजार सात सौ सैंतालीस मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो इस प्रकार है- मकान संख्या 68, बिरला नगर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम-किशोरगढ़, पोस्ट-चिनौर, तहसील और जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत, पिन संख्या 474004, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल- 2000.00, 1100.00
श्री सुरेश कुमार, श्रीमती रामबती, सुरेश किराना स्टोर, (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10433497)	10 जून 2025, रु.371386/- (रुपये तीन लाख इकहत्तर हजार तीन सौ छियासी मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो इस प्रकार है- सर्वे संख्या 92, -वार्ड संख्या 08, नेहर मोहल्ला, गोहद, नई पानी की टंकी के पास, मध्य प्रदेश, पिन संख्या 477116, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल- 824.00, 800.00
श्री राम हजूर पाल, श्रीमती सखी राम हजूर पाल दूध डेयरी (प्रॉस्पेक्टसंख्या आईएल10493265)	11 जून 2025, रु.478365/- (रुपये चार लाख अठ्ठहत्तर हजार तीन सौ पैंसठ मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा- मकान संख्या 35, स्कूल माई के पास, गाँव-बिदानिया, तहसील और जिला-दतिया, मध्य प्रदेश, भारत, पिन संख्या 475686 क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1200.00, 600.00
श्रीमती पूजा धाकड़, श्री अशोक धाकड़, पूजा दूध एवं दुग्ध डेयरी (प्रॉस्पेक्टसंख्या आईएल 10513582)	11 जून 2025, रु.485831/- (रुपये चार लाख पिच्यासी हजार आठ सौ इकतीस मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा- खसरा संख्या 35/2, लाल कोठी वार्ड संख्या 10, गाँव सोनीपुरा, पोहरी, शिवपुर, मध्य प्रदेश, भारत, 473775 में स्थित। क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1000.00, 900.00
श्री महेश रावत, श्रीमती मीरा रावत, महेश आटा चक्की (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल 10574095)	11 जून 2025, रु.427279/- (रुपये चार लाख सत्ताइस हजार दो सौ उन्यासी मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा- पीएच 17, वार्ड संख्या 11, मकान संख्या 180/3, गाँव घुघसी, ओरिना, बडोनी, दतिया, मध्य प्रदेश, भारत, 475686 प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1200.00, 1000.00
श्री देवा लाल कुशवाह श्रीमती कनेर कुँवर (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10565006)	11 जून 2025, रु.440388/- (रुपये चार लाख चालीस हजार तीन सौ अठासी मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग- पीएच नंबर 15, खसरा संख्या 688, मकान संख्या 152, ग्राम पचोखरा, इंदरगढ़, दतिया, मध्य प्रदेश, भारत, 475675 में स्थित। प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1600.00, 1000.00
श्री नरेंद्र सिंह श्रीमती महादेवी (प्रॉस्पेक्टसं आईएल10566205)	11 जून 2025, रु.537492/- (रुपये पांच लाख सैंतीस हजार चार सौ बानवे मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग- पीएच नंबर 25, सर्वेक्षण संख्या 257, ग्राम सतारी, बडोनी, दतिया, मध्य प्रदेश, भारत, 475686 में स्थित। वर्ग फुट)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1592.00, 1000.00
श्री नर्वदा झा, श्री मनोज कुमार झा, श्रीमती सावित्री झा, (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10578965)	11 जून 2025, रु.384189/- (रुपये तीन लाख चौरासी हजार एक सौ नवासी मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- पटवारी हलका संख्या 32, वार्ड संख्या 4, मकान संख्या 65, ग्राम भारोली, तहसील इंद्रगढ़, जिला दतिया, मध्य प्रदेश, भारत, 475675, प्रवेश क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 900.00, 900.00
श्रीमती देवंती श्री दिनेश कुमार राजपूत, श्री. मैथिलीशरण, श्रीमती गायत्री (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10705727)	12 जून 2025, रु.530314/- (रुपये पांच लाख तीस हजार तीन सौ चौदह मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- पटवारी हलका संख्या 27, वार्ड संख्या 06, खसरा संख्या 1873, प्लॉट संख्या 600, पंडोखर, तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश, भारत, 475335 प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 1050.00, 1000.00
श्री रामस्वरूप रावत श्रीमती मिथलेश रामस्वरूप कृषि भूमि (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10715020)	18-जुलाई-2025, रु.395903/- (रुपये तीन लाख पिंच्यानवे हजार नौ सौ तीन मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जो मकान संख्या 48, सर्वेक्षण संख्या 715, संपत्ति क्रमांक 113, ग्राम खैरोना, तहसील कोलारस, जिला है। शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत, 473774 प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल- 700.00, 500.00, 650.00
श्री अरविंद श्रीमती प्रभा देवी (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10695926)	17 जून 2025, रु.520365/- (रुपये पांच लाख बीस हजार तीन सौ पैंसठ मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- पटवारी हलका संख्या 97, खसरा संख्या 409, वार्ड संख्या 12, शंकरजी मंदिर के पास, गाँव उन्नाव, तहसील और जिला दतिया, मध्य प्रदेश, 475671-भारत प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल- 1593.00, 800.00
श्री अरविंद श्री लक्ष्मण सिंह यादव श्रीमती बबीता यादव (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10708484)	12 जून 2025, रु.428354/- (रुपये चार लाख अट्ठाइस हजार तीन सौ चौवन्न मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- पी.एच.एन. 69, वार्ड नं. 02, खसरा नं. 03, मकान नं. 27, कल्याणपुरा बुजुर्ग, दतिया, मध्य प्रदेश, भारत, 475335 में स्थित। प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- फ़ीट)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कार्पेट एरिया। संपत्ति का क्षेत्रफल- 832.00, 648.00
विशम्भर जी श्रीमती शशि ((प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10729846)	12 जून 2025, रु.269623/- (रुपये दो लाख उनहत्तर हजार छह सौ तेईस मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा- पीएच नंबर 74, खसरा नं. 483(एस), मदन बसई, बानमोर, मुरैना, मध्य प्रदेश, भारत, 476444 में स्थित। प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कार्पेट एरिया। संपत्ति का क्षेत्रफल- 675.00, 386.00
श्री बंटी, श्री लक्ष्मण श्रीमती पार्वती, श्रीमती पिस्ता केवट बंटी किराना स्टोर ((प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10762420)	12-जून-2025, रुपए 461957/- (रुपये चार लाख इकसठ हजार नौ सौ सतावन मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा- पटवारी हल्का नं. 53, खसरा नं. 640, वार्ड नं. 04, मकान संख्या 138, क्षेत्रफल 1020 वर्ग फुट। ग्राम हटलाव, तहसील दतिया, जिला दतिया, मध्य प्रदेश-473665, भारत। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कारपेट एरिया। संपत्ति क्षेत्रफल- 1020.00, 779.00।
श्री श्याम सुंदर श्रीमती रामबेटी दूध आय (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10764989)	12 जून 2025, रु. 537595/- (रुपये पांच लाख सैंतीस हजार पांच सौ पिंच्यानवे मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- पी.एच. संख्या-86, खसरा संख्या 384(एस), क्षेत्रफल 2800 वर्ग फुट। फ़ीट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-475002, भारत में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फ़ीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफल- 2800.00, 1500.00।
श्री मुकेश अहिरवार, श्री उमेश अहिरवार, श्रीमती मनीषा अहिरवार मुकेश किराना स्टोर ((प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10845452)	16 जून 2025, रु.358961/- (रुपये तीन लाख अट्ठावन हजार नौ सौ इकसठ मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा- पीएच 69, मकान संख्या 52, खसरा संख्या 257, वार्ड संख्या 06, क्षेत्रफल 1600 वर्ग फीट। ग्राम कल्याणपुरा, दतिया, मध्य प्रदेश-475335, भारत में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फ़ीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफल- 1600.00, 1500.00।

यदि उक्त देनदार आईआईएफएल एचएफएल को उक्त भुगतान नहीं करते हैं तो वह देनदारों के पूरी तरह से जोखिम, लागत व नतीजों पर उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) व लागू नियमों के तहत उक्त सिक्योर्ड एसेट के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं . विवरण हेतु संपर्क प्रा. अधिकारी, ब्रांच आफिस - डी-1, ग्राउंड फ्लोर, बसंत विहार, ग्वालियर-474002/ या कार्पोरेट ऑफिसः आईआईएफएल टॉवर, प्लाट नं. 98, उद्योग विहार, फेस- IV गुड़गांव, हरियाणा.

स्थानः ग्वालियर
दिनांकः 24.9.2025
प्रा. अधिकारी
कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लि.

जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को खिलाई कृमिनाशक दवा, 6 लाख बच्चों तक पहुँचाने का लक्ष्य

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जिलेभर में हुआ अभियान का शुभारंभ

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 23 सितम्बर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर शिवपुरी जिले में आज स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थाओं में कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजॉल खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। जनप्रतिनिधियों ने स्वयं बच्चों को दवा खिलाकर इस विशेष स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषीश्वर ने बताया कि जिले में करीब 6 लाख बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य 26 सितम्बर 2025 तक मॉप-अप राउंड के माध्यम से पूरा किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि एल्बेंडाजॉल गोली पूरी तरह सुरक्षित है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हैं। यह दवा पेट के कीड़े खत्म करने में कारगर है, जिससे बच्चों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्भवती व धात्री महिलाओं को यह दवा नहीं दी जानी चाहिए।

जिलेभर में हुआ शुभारंभः

-मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, जवाहर कॉलोनी में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गायत्री शर्मा ने जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. आशीष व्यास एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति में बच्चों को दवा खिलाई।

-करैरा विकासखंड के वार्ड क्रमांक 10 की आंगनवाड़ी में विधायक प्रतिनिधि पवन निगोती ने सीबीएमओ डॉ. रोहित भदकारिया सहित टीम के साथ अभियान का शुभारंभ किया।

-नरवर विकासखंड के निजामपुर ग्राम की प्राथमिक शाला में पूर्व जनपद अध्यक्ष मुकेश खटीक ने बच्चों को दवा खिलाई। इस मौके पर सीबीएमओ डॉ. एल.डी. शर्मा व बीसीएम सोनू जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि व स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।

-पिछोर विकासखंड में विधायक प्रतिनिधि गौरव मिश्रा ने वीएमओ डॉ. संजीव वर्मा और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

भूले नहीं, एल्बेंडाजॉल गोली खाने का तरीका

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. आशीष व्यास ने बताया कि 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे आधी गोली पीसकर साफ पानी से दें। 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे 1 गोली पीसकर साफ पानी से दें। वहीं 4 से 49 वर्ष तक के बच्चे, महिलाएँ व पुरुष 1 गोली चबाकर खाएँ।

कुख्यात टाइगर तस्कर सहित दो गिरफ्तार

शिवपुरी। कोलारस वन परिक्षेत्र में विगत 10 दिनों से वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण और कटाई के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्यवाहियां की हैं। वन संरक्षक आदर्श श्रीवास्तव एवं वनमंडलाधिकारी सुधांशु यादव के मार्गदर्शन में, उपवनमंडलाधिकारी करैरा आदित्य शांडिल्य के निर्देशन तथा परिक्षेत्राधिकारी कोलारस गोपाल सिंह जाटव के नेतृत्व में रात्रिकालीन गश्त के दौरान वन अमले ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस दौरान 5 ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बीते एक माह में अवैध जुताई, उत्खनन व परिवहन में 8 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त कर कठोर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी लगातार जारी है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग ने कुख्यात टाइगर तस्कर गिरोह के मुख्य आरोपी सौंजीराम मोंगिया और बृजमोहन मोंगिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

तालाब में नहाने गई 9 साल की बालिका ...

रहीं थी। तभी पीड़िता तालाब में नहाने पहुंचीं थी। इसी दौरान वहां बकरियां चरा रहा गांव का ही रामवीर सिंह बघेल निवासी मेहगांव हाल पिपरसेवा तालाब पर पहुंचा और पीड़िता को पकड़कर अपने साथ ले गया। जिसके बाद आरोपी रामवीर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर डाला। लहूलुहान अवस्था में पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद परिजन पीड़िता को उपचार के लिए ग्वालियर के निजी अस्पताल ले गए। इस दौरान आरोपी ने पीड़ित परिवार को डराने, धमकाने के साथ रूपये देने का प्रलोभन भी दिया। 23 सितंबर को पीड़िता को साथ लेकर परिजन रिठौराकलां थाने पहुंचें और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा-65(2) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

PhoenixARC

पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, वालेस टॉवर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. **टेलीफोनः** 022-6849 2450, **फैक्सः** 022-6741 2313
सीआईएनः U67190MH2007PTC168303 **ई-मेलः** info@phoenixarc.co.in, **वेबसाइटः** www.phoenixarc.co.in.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड - असाइनर के नाम से जाना जाता था) द्वारा ऋण के असाइनमेंट के अनुसार फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई नीचे उल्लिखित सम्पत्ति को 'जैसी है, जैसी है और बिना किसी सहारे के' 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली की जा सके, जैसा कि नियम 8 और 9 के साथ पढ़े गए SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002) के अनुसार वेबसाइट www.phoeni&arc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

नीलामी की तिथि और समयः 16-10-2025/11.00 पूर्वाह्न से 02.00 अपराह्न (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

क्र.	उधारकर्ता/गारंटर/ऋण खाता	मांग नोटिस तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
1.	**लैनः** LXGWA00216-170044243 **शाखाः** ग्वालियर **उधारकर्ताः** दिलीप रजक **सह-उधारकर्ताः** महेश कुमार रजक	26-08-2019 रु.611,410/- (रुपए छह लाख ग्यारह हजार चार सौ दस मात्र)	भाग 0 सर्वेक्षण 284/मिन1,285,286,287/2,287/1288, 289, 290,291, मुनि वार्ड संख्या 65, ग्राम वीरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474001	**आरक्षित मूल्यः** रु.6,00,000/- (रुपए छह लाख मात्र) **अग्रिम जमाः** रु.60,000/- (रुपए साठ हज़ार मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः** 15-10-2025

ई-नीलामी के नियम और शर्तें- 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है. बोलीदाता बोली लगाने की जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और बोली फॉर्म जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा, के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, M/S ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टलः https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं. इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तों और प्रक्रिया को देख सकते हैं और **तरुण रघुवंशी 9329414448** और **विजय सिंह 9372505110, शैलेष आयंगर 9833801159** से संपर्क कर सकते हैं, विवरण ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल में उपलब्ध है और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क +91 83709 69696, ई-मेल आईडी contact@auctionbazaar.com से संपर्क कर सकते हैं. 2. सभी इच्छुक क्रेता बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत करना आवश्यक है और पूर्वोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए मुफ्त में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा. 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ ऊपर उल्लिखित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले जमा करना होगा, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना आवश्यक है. 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी को स्थगित कर सकता है. 5. सफल खरीदार/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए भुगतान किए जाने वाले किसी भी वैधानिक बकाया, देय कर शुल्क, खरीद विचार पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा. 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिसमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए. नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा. फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा. 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि वह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ इस तरह के वचनबद्धता को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह स्वतः ही अयोग्य हो जाएगा या उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी.

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 24.9.2025

अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड